

संदर्शिका 7: इमेज़(तस्वीर)-आधारित दुर्व्यवहार का सामना करना

इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार उस परिस्थिति में होता है जब कोई अंतरंग तस्वीर, तस्वीर में दिखाई देने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना शेयर (सांझी) की जाती है, या ऐसा करने की धमकी दी जाती है। इस अभ्यास को अक्सर 'रिवेंज पॉर्न' कहा जाता है।

दस में से एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति ने इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार का सामना किया है।

इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार से आप अपमानित, शर्मिन्दा, कमज़ोर और भयभीत महसूस कर सकती हैं। यह आपकी गरिमा, मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य और दोस्तों, परिवार तथा पार्टनर्स (सहजीवियों) के साथ आपके रिश्ते पर असर डाल सकता है।

यदि कोई व्यक्ति आपकी सहमति के बिना आपकी तस्वीर को शेयर करता है या ऐसा करने की धमकी देता है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने कुछ गलत नहीं किया है और यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ऐसे कुछ कदम हैं जिन्हें आप उठा सकती हैं।

'अंतरंग तस्वीर' क्या होती है?

अंतरंग तस्वीर ऐसी तस्वीर या वीडियो होती है जिसमें निम्नलिखित दिखाई देता है या दिखाया जाना प्रतीत होता है:

- किसी व्यक्ति के गुप्तांग या गुदा का भाग (भले ही यह अंडरवियर से ढका हुआ हो)
- किसी व्यक्ति के स्तन (यदि वह व्यक्ति एक महिला, ट्रांसजेंडर या इंटरसेक्स व्यक्ति हो)
- व्यक्तिगत कार्य-कलाप (उदाहरणतः यदि व्यक्ति कपड़े उतार रहा हो, शौचालय का प्रयोग कर रहा हो, शॉवर ले रहा हो, नहा रहा हो या यौन गतिविधि कर रहा हो)
- यदि कोई व्यक्ति सामान्यतः सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनता हो, तो ऐसी तस्वीर जिसमें उसने वह पोशाक न पहनी हो।



रिपोर्ट करना (सूचना देना) और सहायता प्राप्त करना

आप (या आपकी ओर से कदम उठाने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति) हमारी साइट esafety.gov.au/iba पर फॉर्म का प्रयोग करके हमारी टीम को सूचना दे सकता है।

जब आप हमें सूचना देती हैं, तो हम अंतरंग तस्वीर हटाने के लिए आपके साथ काम करेंगे। इसमें उस सेवा को तस्वीर हटाए जाने के लिए लागू किए जाने वाला नोटिस देना शामिल हो सकता है जहाँ आपकी अंतरंग तस्वीर पोस्ट की गई है, या उस व्यक्ति को यह नोटिस देना शामिल हो सकता है जिसने आपकी तस्वीर पोस्ट की है।

कुछ मामलों में, हो सकता है कि हम उस व्यक्ति के खिलाफ उस परिस्थिति में कार्यवाही करें जिसने आपकी अंतरंग तस्वीर पोस्ट की है, या ऐसा करने की धमकी दी है, जब आप यह इच्छा व्यक्त करें कि हम कुछ ऐसा कदम उठाएँ। कार्यवाहियों में औपचारिक चेतावनी देना, उल्लंघन नोटिस देना और यहाँ तक कि न्यायालय से समादेश (इन्जंक्श) या सिविल जुर्माना आदेश देने की सिफारिश करना शामिल हो सकता है।

हमारे द्वारा कार्यवाही किए जाने के लिए, यह ज़रूरी है कि इस मामले का संबंध ऑस्ट्रेलिया से हो। इसका अर्थ यह है कि या तो:

- आप ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं; या
- जिस व्यक्ति ने आपकी अंतरंग तस्वीर पोस्ट की है या ऐसा करने की धमकी दी है, वह ऑस्ट्रेलिया में रहता है; या
- अंतरंग तस्वीर या वीडियो ऑस्ट्रेलिया में होस्ट की गई है।

रिपोर्ट करना आसान है।

वेबसाइट esafety.gov.au/iba पर जाएँ और पृष्ठ के निचले भाग पर 'Report now' बटन पर क्लिक करें।

रिपोर्ट फॉर्म में आपको हमें निम्नलिखित बातें बताने की ज़रूरत होगी:

- आपको किस बात के लिए सहायता की ज़रूरत है – उदाहरणके लिए, तस्वीरें जिन्हें किसी वेबसाइट पर पोस्ट किया गया है या तस्वीर पोस्ट करने के लिए आपको मिली धमकियाँ।
- आप कैसा महसूस कर रही हैं, ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि आपके पास आपके लिए ज़रूरी भावनात्मक समर्थन है।
- यह कि क्या जब आपकी फोटो ली गई या वीडियो बनाई गई थी तो क्या आपकी आयु 18 साल से कम थी और अब आप किस आयु वर्ग में आती हैं।
- तस्वीर/रें या वीडियो ऑनलाइन कहाँ पाई जा सकती है – जितने संभव हो उतने विवरण के साथ।
- क्या हुआ है – इससे हमें यह आकलन करने में मदद मिलती है कि क्या कोई अन्य खतरे हैं जिनका प्रबंध करने में हम आपकी सहायता कर सकते हैं; उदाहरणतः, क्या कोई घरेलू या पारिवारिक हिंसा संबंधी प्रोटेक्शन ऑर्डर स्थापित किए गए हैं।
- क्या आप यह जानती हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसमें यह भी शामिल है कि यदि हम उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं तो क्या आपको कोई परेशानी तो नहीं है (इससे हमारी टीम को यह आकलन करने में मदद मिलती है कि क्या हम जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं या नहीं)।
- आप इससे क्या परिणाम चाहती हैं – क्या आपको आपकी अंतरंग तस्वीर हटाने में हमारी मदद चाहिए, या क्या आप चाहती हैं कि इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही की जाए, या फिर दोनों।
- यदि इसमें पुलिस शामिल है (हो सकता है कि तस्वीर हटाने का काम शुरू करने से पहले हमें यह जांच करने के लिए उनसे संपर्क करने की ज़रूरत पड़े कि क्या आपके मामले के लिए कोई प्रमाण संरक्षित रखा गया है या नहीं)।

आपके द्वारा हमें सूचित किए जाने के बाद, जितनी जल्दी संभव हो सके हम आपसे संपर्क करेंगे – आमतौर पर 1-2 कार्यकारी दिनों में।

यदि आपकी अंतरंग तस्वीरें सोशल मीडिया सेवा पर पोस्ट की गई हैं, तो आप संबंधित सोशल मीडिया सेवा को सीधे इसकी

सूचना भी दे सकती हैं – ऐसा करना अक्सर इन सेवाओं से तस्वीरें हटाने का सबसे तेज़ तरीका होता है। अधिकांश सोशल मीडिया सेवाओं का अपनी साइट पर एक Help (सहायता) या Report (सूचना देना) अनुभाग, और सेवा की शर्तें होती हैं जो इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार सहित किसी विशेष तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाना वर्जित करती हैं।

सोशल मीडिया साइट्स को सूचना कैसे दें, इसके बारे में और अधिक जानकारी (अंग्रेज़ी में) आप हमारी वेबसाइट से प्राप्त कर सकती हैं: esafety.gov.au/image-based-abuse/action/remove-images-video/report-to-social-media-service-website/how-to-report-to-popular-sites.

सहायता प्राप्त करें

याद रखें! टेकनोलजी द्वारा दुर्व्यवहार करना गलत है और यह आपका कसूर नहीं है। सहायता उपलब्ध है, और आपको अकेले इसका सामना करने की ज़रूरत नहीं है।

यदि आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो तुरंत ही **ट्रिपल ज़ीरो (000)** पर फोन करके पुलिस और एमर्जेंसी (आपातकालीन) सेवाओं से संपर्क करें।

यदि आप अंग्रेज़ी नहीं बोलती हैं

किसी लैंडलाइन फोन से **ट्रिपल ज़ीरो (000)** पर फोन करें और **'Police (पुलिस)', 'Fire (अग्नि सेवा)'** या **'Ambulance (एम्बुलेंस)'** के लिए कहें। लाइन पर बनी रहें और आपका संपर्क किसी दुभाषिण से स्थापित किया जाएगा।

यदि यह कोई आपातक स्थिति नहीं है, तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन फोन करें या जाएँ।

अधिक सहायता के लिए, जितनी जल्दी संभव हो सके किसी सुरक्षित फोन या उपकरण से **1800RESPECT** पर संपर्क करें:

1800 737 732

1800respect.org.au

1800RESPECT पारिवारिक दुर्व्यवहार और यौन दुर्व्यवहार सहित हर प्रकार के दुर्व्यवहार के लिए 24-घंटे, निःशुल्क और गोपनीय सुरक्षा नियोजन, परामर्श और समर्थन प्रदान करती है। ये आपका संपर्क आपके क्षेत्र की अन्य सेवाओं से भी करा सकती है। अन्य भाषाओं में और अधिक जानकारी, सलाह और वीडियो के लिए 1800respect.org.au/languages देखें।

Lifeline**13 11 14**lifeline.org.au

Lifeline तात्कालिक सहायता की ज़रूरत वाले लोगों को 24/7 संकटकालीन समर्थन और आत्महत्या रोकथाम सेवाएँ उपलब्ध कराती है।

Lifeline's का 24-घंटे का संकटकालीन समर्थन केन्द्र आपको निम्नलिखित संबंधी सहायता प्रदान कर सकता है:

- आत्महत्या करने के ख्याल या ऐसा करने का प्रयास
- व्यक्तिगत संकट
- दुर्व्यवहार और सदमा
- दोस्तों और परिवार के लिए आत्म-सहायता सूचना

यदि आप अंग्रेज़ी नहीं बोलती हैं और आपको दुभाषिण की ज़रूरत है, तो इन निर्देशों का पालन करें:

1. Translating and Interpreter Service (अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा - TIS) को 131 450 पर फोन करें
2. Lifeline से 13 11 14 पर अपनी भाषा में बात करने के लिए निवेदन करें।
3. TIS फिर Lifeline नम्बर को फोन करेगा और आपके लिए भाषान्तरण करेगा।
4. Lifeline और TIS दुभाषिण के साथ लाइन पर अपनी बातचीत जारी रखें।

TIS को की जाने वाली कॉल की लागत लैंडलाइन फोन से की जाने वाली लोकल कॉल की लागत होती है। मोबाइल फोन से की जाने वाली कॉल के लिए अतिरिक्त शुल्क लागू हैं।

और अधिक जानकारी के लिए tisonational.gov.au देखें।

Beyondblue**1300 22 4636**beyondblue.org.au/get-support/get-immediate-support

Beyondblue योग्य मानसिक स्वास्थ्य व्यावसायिकों से 24/7, निःशुल्क और गोपनीय समर्थन उपलब्ध कराती है। यदि आप अवसाद या व्याकुलता का सामना कर रही हैं तो वे इसकी पहचान करने में मदद दे सकते हैं, इन समस्याओं का उपचार किया जा सकता है।

यदि आपको अंग्रेज़ी के साथ सहायता की ज़रूरत है, तो आप राष्ट्रीय Translating and Interpreting Service (अनुवाद एवं दुभाषिया सेवा - TIS नेशनल) से निःशुल्क दुभाषिया सेवा प्राप्त कर सकती हैं

tisonational.gov.au

Beyondblue अन्य भाषाओं में भी मानसिक स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचना और समर्थन प्रदान करती है। beyondblue.org.au/who-does-it-affect/multicultural-people/translated-mental-health-resources देखें।

कानूनी सहायता प्राप्त करें

यदि इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार पारिवारिक या घरेलू हिंसा का भाग है, तो सुरक्षित रहना आपकी सबसे पहली प्राथमिकता है।

1800RESPECT, पुलिस या कानूनी सेवा से बात करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आपके द्वारा अंतरंग तस्वीरों को हटाने के लिए निवेदन किए जाने से पहले आपके पास एक सुरक्षा योजना हो।

यदि इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार आपके साथ हुआ है, तो आप जिस राज्य या राज्य-क्षेत्र में रहती हैं उसपर निर्भर करते हुए अलग-अलग कानून लागू हो सकते हैं। वकील आपको यह सलाह देने में सक्षम होगा कि आपके विकल्प क्या हो सकते हैं।

आप पुलिस को सूचना देने पर भी विचार कर सकती हैं। यदि आप असुरक्षित महसूस करती हैं, तो आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर के माध्यम से कानूनी संरक्षण की ज़रूरत हो सकती है ताकि आपके साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति को आपके साथ निम्नलिखित करने से रोका जा सके:

- आपकी अंतरंग तस्वीरों या वीडियो को शेयर करने की धमकी देना
- आपके निकट आना
- आपसे संपर्क करना
- इस बात पर नज़र रखना कि आप कहाँ जाती हैं और क्या करती हैं।

प्रमाण इकट्ठा करना

इमेज़-आधारित दुर्व्यवहार के प्रमाण रिकॉर्ड और इकट्ठा करने से आपको अपने मामले को सिद्ध करने में मदद मिल सकती है। प्रमाण के उदाहरणों में शामिल हैं:

- स्क्रीनशॉट्स
- सेव किए गए वॉइसमेल मैसेजिस
- प्रिंट की हुई ई-मेल और सोशल मीडिया पोस्ट
- किसी लॉग या जर्नल में घटित वारदात के लिखित रिकॉर्ड्स।

प्रमाण इकट्ठा करने के बारे में और अधिक जानकारी (अंग्रेज़ी में) eSafetyWomen esafety.gov.au/women/take-control/esafety-planning/collecting-evidence पर देखी जा सकती है।